

भाग-4-A

मौलिक कर्तव्य

अनु० 51A

fundamental duties.

- ⇒ आरम्भ में इन कर्तव्य नहीं था।
- ⇒ सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42C.A.A 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य।
- ⇒ स्वर्ण सिंह ने 8 मौलिक कर्तव्य की मांग कि सुने।
- ⇒ अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक है।

“ राज्य के प्रति नागरिकों का कर्तव्य ”

* यह व्यापक वाक्य योज्य नहीं है।

* 86वां C.A.A-2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया, इसकी संख्या-⑪ ✓

* मौलिक कर्तव्य को किली पर थोपा नहीं गया है।

* “ कर्मा समिति, 1999— का उद्देश्य था, “मौलिक कर्तव्य का संचालन”

- 1:- संविधान का पालन करे, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करे।
- 2- राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लेने वाले व्यक्ति के उच्च आदर्शों को अपने हृदय में संजोये।
- 3:- भारत की एकता अखण्डता को बनाये रखे।
- ④:- राष्ट्र के अह्वाण पर राष्ट्र की रक्षा करे।
- ⑤- भारत में समरसता, वन्द्यता, भौट भेदभाव नहीं करे।

⑥ भारत के गौरवशाली परम्परा का सम्मान करे।

guy ← ⑦ प्रकृति, पर्यावरण, और वन्य जीव का संरक्षण करे।

⑧ वैज्ञानिक दृष्टि कोण बढ़ावा दे, उसका प्रयोग
भारत के योगदान में करे।

⑨ सार्वजनिक सम्पत्ति की सुरक्षा करे।


⑩ व्यक्तिगत या सामूहिक गतिविधियों से देश के
ऊर्जा का संचार करे।

⑪ - 6 से 14 वर्ष के बच्चों को माता-पिता या अभिभावक शिक्षा के लिए विद्यालय भेजे।

* **

Note :- मौलिक कर्तव्य की सोवियत संघ रुस से लिया गया है।

संघ की कार्यपालिका



राष्ट्रपति President.

⇒ यह भारत का प्रथम नागरिक है।

⇒ इसका पद निश्चित है, यह समाप्त नहीं होगा।

⇒ यह भारत का संवैधानिक प्रमुख है → De jure.

↳ भारत का वास्तविक प्रमुख भारत का प्रधानमंत्री

अनु. 52:-

भारत का एक राष्ट्रपति होगा।

↳ Shall be.

↳ लैटिन भाषा - Defecto

अनु०-53:- संघ के कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होगा

तथा तीनों सेवाओं का सर्वोच्च सेनापति होगा।

↳ युद्ध या आक्रमण
का आदेश देगा।

अनु०-58:- योग्यता-Qualification:-